मेजर सिंह

बनाम

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 2405-06)

/

16 जून, 2022

[ए. एस. बोपन्ना और विक्रम नाथ, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 -s.304 भाग II-गैर इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच अंतर-आयोजितःदोनों अपराधों में शामिल इरादे और ज्ञान का एक सूक्ष्म अंतर है-यह तय करने के लिए इरादे महत्वपूर्ण हैं कि क्या आरोपी ने गैर इरादतन हत्या की है या गैर इरादतन हत्या की है जो हत्या के बराबर नहीं है-इरादे, ज्ञान और अपराध की डिग्री के साथ, यानी मृतक की हत्या कैसे की गई थी, यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है-वर्तमान मामले में, आरोपी-अपीलकर्ता का अपने चाचा को मारने का कोई इरादा नहीं था-इरादे की कमी को आसानी से अपीलकर्ता द्वारा किए गए कृत्यों के माध्यम से देखा जा सकता है-वह एक दिन पहले अपने चाचा द्वारा चिल्लाने के लिए क्रोधित था, जो आरोपी के लिए उकसावे के रूप में काम करता था-अपीलकर्ता के हाथ में खाट का लकड़ी का पैर था जिसे एक खतरनाक हथियार नहीं कहा जा सकता है।302 भारतीय दंड संहिता सी. लेकिन एस. के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।304 भाग-II भारतीय दंड संहिता सी.

/

/

/

/

मोहम्मद.रफीक बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2021) 10

/

एस. सी. सी. **706-**संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

(2021) 10 एस. सी. सी. **706**

संदर्भित

पैरा **14**

/

800 ए.

801

मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2014 की आपराधिक अपील संख्या 2405-06।

2002 की आपराधिक अपील No.D-421-DBA और 2002 के आपराधिक संशोधन No.391 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 03.04.2014 के निर्णय और आदेश से।

/

गगन गुप्ता, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

आर. के. राठौर, सुश्री जसप्रित गोगिया, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

/

1. अभियुक्त-अपीलार्थी, मेजर सिंह (इसके बाद 'अपीलार्थी' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर अपीलों का वर्तमान समूह पंजाब और हरियाणा उच्च विचारण न्यायालय द्वारा 2002 की आपराधिक अपील संख्या 421 और 2002 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 391 में पारित दिनांक 1 के आदेश से उत्पन्न होता है, जिसमें अपील और पुनरीक्षण याचिका की अनुज्ञात गई थी, निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार कर दिया गया था और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

/

तथ्यः

/

2. अभियोजन पक्ष का मामला दो दिन की घटना से उत्पन्न होता है और यह इस प्रकार सामने आता हैः

आई. दुर्भाग्यपूर्ण घटना से एक दिन पहले, आईडी1 पर, अपीलार्थी ने अपने चाचा माखन सिंह (मृतक) के साथ झगड़ा किया था और चाचा के साथ दुर्व्यवहार किया था।उनके बीच इस बहस के कारण, माखन सिंह ने अपीलार्थी को कड़ी फटकार लगाई थी।

/

ii.घटना के दिन, यानी 21.07.1998 पर लगभग 10 बजेः30/11:00 सुखराज सिंह (शिकायतकर्ता) के पिता ए. एम. माखन सिंह अपने गाँव के बस स्टैंड की ओर जा रहे थे।अपने रास्ते में, मेजर सिंह बस स्टैंड के दूसरी तरफ से लकड़ी का 'बहि' (खाट के फ्रेम का लकड़ी का हिस्सा) पकड़े हुए आए।उसने पिछले दिन चिल्लाने और उसका अपमान करने के लिए माखन सिंह को गाली दी और माखन सिंह को सबक सिखाने की धमकी दी।इसके बाद, आरोपी ने माखन सिंह के सिर पर 'बहि' प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप माखन सिंह गिर गया।

/

/

1 भारतीय दंड संहिता -भारतीय दंड संहिता, 1860 ए

जिसके तुरंत बाद मेजर सिंह 'बहि' लेकर मौके से भाग गए।इसके बाद सुखराज सिंह और चरणजीत सिंह दोनों, जो दिलबाग सिंह की दुकान के सामने खड़े थे, अपने पिता को ले गए, जिनके सिर से खून बह रहा था।उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे दयानंद मेडिकल कॉलेज, लुधियाना रेफर कर दिया।माखन सिंह ने घटना के एक दिन बाद 22.07.1998 पर दम तोड़ दिया।

/

3. सुखराज सिंह पुलिस स्टेशन गए, जहाँ उन्होंने ए. एस. आई. अरनैल सिंह से हुसनार चौक, गिद्दड़बहा में मुलाकात की और उनका बयान लिखित रूप में दर्ज किया गया।पुलिस,

समर्थन करने के बाद, उसे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन-कोटभाई को भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और रफ साइट प्लान तैयार किया और घटनास्थल से खून से सना मिट्टी को उठाया गया।

/

4. घटना की मृत्यु के दिन, पुलिस ने डी. एम. सी., लुधियाना का दौरा किया और जाँच रिपोर्ट तैयार की।अपराध को बढ़ाकर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 कर दिया गया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आठ चोटें पाई गईं और डॉक्टर के अनुसार, मौत का कारण सिर की चोट के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव था।

/

5. अपीलार्थी को 09.08.1998 पर गिरफ्तार किया गया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने अपने आवास पर गेहूं के भूसे के कमरे में 'बहि' को छिपाने की बात कबूल की।हेड कांस्टेबल गुरदास सिंह और चरणजीत सिंह की उपस्थिति में अपीलार्थी द्वारा बताए गए स्थान से खून से सना 'बहि' बरामद किया गया।पुलिस ने रासायनिक जांच के लिए 'बहि' के साथ खून से सना मिट्टी, सादे मिट्टी को भेजा।रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में यह पाया गया कि 'बहि' पर धब्बा और घटनास्थल से बरामद खून एक ही व्यक्ति, यानी मृतक का था।6. धारा 207 सी. आर. पी. सी. 2 के अनुपालन के बाद, मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था, दिनांक 13.10.1998 के आदेश के अनुसार और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 303 के अंतर्गत 17.11.1998 पर आरोप विरचित किया गया था। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

/

/

/

7. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू1 से पीडब्लू-8 के रूप में आठ गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य भी दायर किए।साक्ष्य के बाद

2 दंड प्रक्रिया संहिता-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ए

/

अभियोजन दर्ज किया गया, आरोपी से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत पूछताछ की गई और पूरी आपत्तिजनक सामग्री उसे सौंपी गई।उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया और अपनी बेगुनाही दोहराई।उसने दावा किया कि घटना से एक दिन पहले उसके और मृतक के बीच झगड़ा होने के कारण उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया था।उन्होंने कहा कि मृतक को स्कूटर दुर्घटना के कारण चोटें आई थीं।हालांकि, आरोपी ने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया।

/

विचारण न्यायालय जजमेंटः

8. विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुक्तसर ने आदेश 13.07.2001 के माध्यम से अपीलार्थी को निम्नलिखित निष्कर्षों पर बरी कर दियाः

/

(i) एफ. आई. आर. दर्ज करने में साढ़े चार घंटे की देरी हुई। यहां तक कि 03.08.1998 पर आरोपी की देर से गिरफ्तारी से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष घटना के पीछे की वास्तविक कहानी के बारे में निश्चित नहीं था।

((ii) घटना के पीछे का मकसद न तो गंभीर था और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित किया गया था।(3) सुखराज सिंह (शिकायतकर्ता) और ए. एस. आई. जरनैल सिंह, जांच अधिकारी एक-दूसरे से परिचित थे।

/

((iv) घटना का समय, जैसा कि दावा किया गया है, स्थापित नहीं है।

(v) चश्मदीद गवाह सुखराज सिंह और चरणजीत सिंह के बयान विश्वसनीय नहीं पाए गए।

/

(vi) इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने घटना के गवाह तेजा सिंह, मनोहर सिंह और दरबारा सिंह से पूछताछ नहीं की थी।

(vii) चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र संबंधी साक्ष्य के विरोधाभासी है।यहां तक कि डी. एम. सी., लुधियाना के बेड हेड टिकट में उल्लिखित केस हिस्ट्री भी ऑक्युलर संस्करण के विपरीत है।

/

(viii) स्केल्ड साइट प्लान रफ साइट प्लान के साथ मेल नहीं खाता है।9. बरी किए जाने के फैसले से नाराज पंजाब राज्य और शिकायतकर्ता ने क्रमशः उच्च न्यायालय में अपील और पुनरीक्षण दायर किया।

/

उच्च न्यायालय का निर्णयः

10. उच्च विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करने के फैसले को दरकिनार कर दिया और उसकी राय थी कि निचली अदालत ने सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा है।इसके बाद

/

804

/

[2022] 6 एस सी आर।

/

उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी ठहराते समय कारण दर्ज किए गए थे -

i. अभियोजन पक्ष के मामले को केवल प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था। माखन सिंह की हालत गंभीर थी और शिकायतकर्ता की पहली प्राथमिकता अपने पिता को बचाना था, जो सिर में चोट लगने से काफी खून बह रहा था।

/

ii.यह तथ्य कि क्या ए. एस. आई. जरनैल सिंह शिकायतकर्ता को जानते थे, कोई मायने नहीं रखता।शिकायतकर्ता को पुलिस को सूचित करने का अधिकार था।यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि ए. एस. आई. ने शिकायतकर्ता पर कोई एहसान किया है।

/

iii.यह घटना दिन के समय हुई जैसा कि चश्मदीद गवाहों द्वारा दर्ज किया गया था और डॉक्टर ने सुबह 11.15 पर पुलिस को सूचना भेजी थी, जो घटना के समय की पुष्टि करता है।घटना के समय पर अविश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं है।

iv.पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को आठ चोटें आई थीं।डॉ. अमन कपूर (पीडब्लू 2) ने कहा है कि मुख्य चोट सिर पर थी और बाकी चोटें स्पष्ट रूप से गिरने के परिणामस्वरूप थीं।ये चोटें सूजन और खरोंच थीं।5. विचारण न्यायालय ने डी. एम. सी., लुधियाना में प्रवेश के समय उल्लिखित इतिहास को अनुचित महत्व दिया जिसमें कहा गया है कि मृतक को स्कूटर पर यात्रा करते समय चोटें आईं जब उसे किसी ने सिर पर मारा था।इतिहास दर्ज करने अंतर्गत कुछ त्रुटि हो सकती है, क्योंकि जो बेटा अपने पिता को डीएमसी, लुधियाना ले आया था, वह अपने पिता की गंभीर स्थिति के कारण सदमे की स्थिति अंतर्गत था।यह मामले की योग्यता को प्रभावित नहीं करता है।

/

/

/

(vi) यदि घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर मौजूद कोई संरचना स्थल योजना में नहीं दिखाई गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थल योजना गलत है।साइट प्लान में मामूली चूक का मतलब यह नहीं है कि जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई रफ साइट प्लान स्केल्ड साइट प्लान के विरोधाभासी है।

/

vii.अभियोजन पक्ष की कहानी पर इस आधार पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि गिरफ्तारी 03.08.1998 पर की गई थी।यह बहुत संभव है कि आरोपी अपनी गिरफ्तारी के डर से भाग गया हो।

/

805

मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

/

viii .पार्टियाँ रिश्तेदार होती हैं।केवल विवाद के कारण, शिकायतकर्ता के लिए अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं था, जो मृतक का असली भतीजा है।केवल एक आरोपी है और एक आरोपी को चोट लगी है।इसलिए, गलत निहितार्थ की संभावना को खारिज कर दिया जाता है।यहां तक कि अपीलार्थी के इशारा करने पर 'बहि' भी बरामद किया गया था।

/

ix.अपीलार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य या गाँव का कोई अन्य स्वतंत्र निवासी अपीलार्थी के बचाव पक्ष का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया, जाहिरा तौर पर इस कारण से कि वे आश्वस्त हो सकते हैं कि अपीलार्थी मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था।

/

x. नेत्र संस्करण सच्चा और विश्वसनीय है और पूरी तरह से चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

xi.अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता सी. अंतर्गत धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि यह घटना अचानक और बिना किसी पूर्वनिर्धारण के नहीं हुई थी।घटना के पिछले दिन हुए झगड़े के कारण और जिस तरह से अपीलार्थी ने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति के सिर पर बड़ी ताकत से खाट ('बहि') की लकड़ी की भुजा से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप अगले दिन उसकी खोपड़ी टूट गई और मौत हो गई, उसके कारण अपीलार्थी

मृतक के खिलाफ शिकायत लेकर मौके पर आया।11. उच्च न्यायालय की दोषसिद्धि से व्यथित, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष इस अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

विश्लेषणः

/

12. अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया है कि मृतक की मौत हत्या थी।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को आठ चोटें आई थीं।डॉ. अमन कपूर (पीडब्लू 2) ने रिपोर्ट में कहा कि मुख्य चोट सिर पर थी और दोनों चश्मदीद गवाहों सुखराज सिंह (पीडब्लू 3) और चरणजीत सिंह (पीडब्लू 4) ने दावा किया है कि अपीलार्थी ने उनके पिता के सिर पर 'बहि' से वार किया था।अपीलार्थी द्वारा छिपने की जगह के बारे में कबूल करने के बाद ही पुलिस ने 'बहि' की बरामदगी, यानी मृतक को घातक चोट पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद किया।13. इस प्रकार, हम संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष ने, उचित संदेह से परे, घटना को स्थापित तरीके से स्थापित किया है।मृतक की मृत्यु आरोपी द्वारा की गई चोट के कारण हुई।एक ही प्रश्न

/

/

जिस पर हमारे विचार की आवश्यकता है, वह इस संबंध में है कि क्या मामला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय गैर इरादतन हत्या के दायरे में आता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है या यह गैर इरादतन हत्या थी, जो भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय हत्या नहीं थी, जैसा कि वैकल्पिक में अपीलार्थी के वकील द्वारा अनुरोध किया गया है।14. इस न्यायालय द्वारा हाल ही में मोहम्मद के मामले में यह भेद किया गया है कि क्या कोई अपराध गैर इरादतन हत्या है या गैर इरादतन हत्या है।रफीक बनाम मध्य प्रदेश राज्य 3 इस मुद्दे पर पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद।न्यायालय ने कहा कि भले ही यह भेद करना मुश्किल है कि अपराध के लिए सजा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 या धारा 304 के अंतर्गत आएगी या

नहीं, लेकिन दोनों अपराधों में शामिल इरादे और ज्ञान की मात्रा में सूक्ष्म अंतर है।निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

/

/

"पैरा 11-यह प्रश्न कि क्या किसी दिए गए मामले में हत्या, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय है, या भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय, किसी भी विवरण की गैर-इरादतन हत्या, भारतीय दंड संहिता सी. के विधि न के बाद से डेढ़ सदी से अधिक समय से इस देश में न्यायालय ों का ध्यान आकर्षित कर रही है; इस पहलू पर एक वेल्टर केस लॉ मौजूद है, जिसमें शायद इस न्यायालय के कई सौ फैसले भी शामिल हैं।गैर इरादतन हत्या के संबंध में कई स्थानों पर "संभावित" शब्द का उपयोग, अनिश्चितता के तत्व को उजागर करता है कि आरोपी के कार्य ने व्यक्ति की हत्या की हो या न की हो।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 जो हत्या को परिभाषित करती है, हालांकि संभावित शब्द के उपयोग से बचती है, जो आरोपी की ओर से अस्पष्टता के अभाव को प्रकट करती है।अभियुक्त को पूरा यकीन है कि उसका कार्य निश्चित रूप से मौत का कारण बनेगा। अक्सर गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच अंतर करना मुश्किल होता है क्योंकि दोनों में मौत शामिल होती है।फिर भी, दोनों अपराधों में शामिल इरादे और ज्ञान का एक सूक्ष्म अंतर है।यह अंतर अधिनियम की डिग्री में निहित है।दोनों अपराधों के बीच इरादे और ज्ञान के स्तर में बहुत व्यापक अंतर है।

/

/

/

/

पैरा 12-आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या और अन्न में निर्णय दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को नोट करता है।

3 (2021) 10 एससीसी 706 ए

/

807

मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

प्रावधान, और उनका अलग, लेकिन सूक्ष्म अंतर।न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि:

12. दंड संहिता की योजना में, "गैर-इरादतन हत्या" जीनस है और हत्या इसकी प्रजाति है। सभी हत्याएं "गैर-इरादतन हत्या" हैं, लेकिन इसके विपरीत नहीं।आम तौर पर, "गैर इरादतन हत्या" बिना "हत्या की विशेष विशेषताओं" के, "गैर इरादतन हत्या जो हत्या के बराबर नहीं है" है।इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, संहिता व्यावहारिक रूप से गैर-इरादतन हत्या के तीन स्तरों को मान्यता देती है।पहला है, जिसे "प्रथम श्रेणी की गैर-इरादतन हत्या" कहा जा सकता है।यह गैर इरादतन हत्या का सबसे बड़ा रूप है, जिसे धारा 300 में "हत्या" के रूप में परिभाषित किया गया है।दूसरे को "दूसरे दर्जे की गैर-इरादतन हत्या" कहा जा सकता है।यह धारा 304 के पहले भाग के अंतर्गत दंडनीय है।फिर, "थर्ड डिग्री की गैर-इरादतन हत्या" होती है।यह सबसे कम प्रकार की गैर-इरादतन हत्या है और इसके लिए प्रदान की गई सजा भी तीन श्रेणियों के लिए प्रदान की गई सजाओं में सबसे कम है।इस स्तर की दंडनीय हत्या धारा 304 के दूसरे भाग के अंतर्गत दंडनीय है।

/

/

/

13. "हत्या" और "गैर इरादतन हत्या" के बीच के अकादमिक अंतर ने एक सदी से अधिक समय से अदालतों को परेशान किया है।यदि अदालतें इन धाराओं में विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के सही दायरे और अर्थ की दृष्टि खो देती हैं, तो वे खुद को सूक्ष्म अमूर्तता में खींचने की अनुमति देते हैं।इन प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए दृष्टिकोण का सबसे सुरक्षित तरीका धारा 299 और 300 के विभिन्न खंडों में उपयोग किए गए मुख्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना प्रतीत होता है।

/

/

पैरा 13-पुलीचेरला नागराजू @नागराजा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में उन विचारों को रेखांकित किया गया है जिन पर अदालतों को विचार करना चाहिए कि क्या कोई कार्य हत्या के रूप में दंडनीय है, या गैर-इरादतन हत्या, जो हत्या के बराबर नहीं है।इस न्यायालय ने कहा किः

/

“29. इसलिए, न्यायालय को इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सावधानी और सावधानी के साथ निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तय करेगा कि मामला धारा 304 या 304 भाग 1 या 304 के अंतर्गत आता है या नहीं।

/

भाग II। कई छोटे या महत्वहीन मामले-किसी फल को तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों के बीच झगड़ा, अशिष्ट शब्द बोलना या यहां तक कि आपत्तिजनक नज़र आना, विवाद और सामूहिक संघर्षों का कारण बन सकते हैं जो मौतों में परिणत हो सकते हैं।ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं।कोई इरादा नहीं हो सकता है।कोई पूर्वधारणा नहीं हो सकती है।वास्तव में, आपराधिकता भी नहीं हो सकती है।स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, हत्या के मामले हो सकते हैं जहां आरोपी एक मामले को सामने रखने का प्रयास करके हत्या के लिए दंड से बचने का प्रयास करता है कि मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था।यह सुनिश्चित करना अदालतों का काम है कि धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 भाग I/II के अंतर्गत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं किया जाए, या गैर इरादतन हत्या के मामलों को धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय हत्या के रूप में माना जाए।मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर निम्नलिखित में से कुछ या कई परिस्थितियों के संयोजन से एकत्र किया जा सकता है; (i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार आरोपी द्वारा ले जाया गया था या मौके से उठाया गया था; (iii) क्या प्रहार शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को लक्षित करने के लिए किया गया है; (iv) चोट पहुँचाने में लगाए गए बल की मात्रा; (v) क्या यह कार्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान किया गया था या सभी लड़ाई के लिए निशुल्क था; (vi) क्या घटना संयोग से हुई थी या क्या कोई पूर्वकल्पना थी; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक प्रभाव पड़ा था। परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और अलग-अलग मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो इरादे के प्रश्न पर प्रकाश डाल सकती हैं। "

/

/

/

/

/

/

15. आपराधिक न्यायशास्त्र में इरादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।यदि अभियोजन पक्ष उस अपराध को करने के इरादे को साबित करने में विफल रहता है तो इसे अपराध नहीं कहा जा सकता है।इरादा यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या ए

/

809

मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

अभियुक्त ने गैर इरादतन हत्या या गैर इरादतन हत्या की है।इरादे, ज्ञान और अपराध की डिग्री के साथ, यानी मृतक की हत्या कैसे की गई, यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

16. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी का अपने चाचा को मारने का कोई इरादा नहीं था।इरादे की कमी को अपीलार्थी द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है।वह एक दिन पहले अपने चाचा द्वारा चिल्लाये जाने पर क्रोधित था, जिसने आरोपी के लिए उकसावे का काम किया।अपीलार्थी के हाथ में खाट का लकड़ी का पैर था जिसे खतरनाक हथियार नहीं कहा जा सकता है।उन्होंने मृतक को एक भी झटका दिया था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का इरादा मृतक की हत्या करने का था जो उसके अपने चाचा थे।शायद वह अपने चाचा को उस फटकार के लिए दंडित करना चाहता था जो उसे पिछले दिन मिली थी।इसके अलावा यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को पता था कि मृतक की मृत्यु एक ही प्रहार से होगी।

/

/

17. इस प्रकार हमारी राय है कि मृतक भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग-2 के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

/

18. अपीलार्थी को 09.08.1998 पर गिरफ्तार किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद 13.07.2001 पर रिहा कर दिया गया था।04.10.2014 पर उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने फिर से आत्मसमर्पण कर दिया। वह पहले ही आठ साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं।उसकी सजा को आजीवन कारावास से घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया जाएगा।उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना जैसा है वैसा ही रहेगा।

/

19. तदनुसार, अपीलों की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।उच्च न्यायालय के निर्णय को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया गया हैः

/

(i) भारतीय दंड संहिता सी. की धारा302 के अंतर्गत दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा निर्धारित की गई है।

((ii) अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है। (iii) अपीलार्थी को उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने के साथ पहले से गुजर चुकी अवधि की सजा दी जाती है।

/

((iv) अपीलार्थी को तुरंत रिहा किया जा सकता है, यदि वह किसी अन्य आपराधिक मामले में वांछित नहीं है।

/

अपीलों की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

/